के. चिथायन

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 827/2005)

15 मई 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथाशिवम, जे. जे.]

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

उपधारा 42(2), धारा 43 और 50-सार्वजनिक स्थान पर अभियुक्तों के बैग की तलाशी ली गई-बैग में प्रतिबंधित वस्तु थी-विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और 10 साल की कठोर कारावास की सजा उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया-अवधारित किया गया : क्योंकि तलाशी सार्वजनिक स्थान की गई थी न कि किसी इमारत में, धारा 43 लागू थी न कि धारा 42(2)– क्योंकि कोई व्यक्तिगत तलाशी नहीं हुई थी, इसलिए धारा 50 लागू नहीं है-उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं है।

अपीलकर्ता एक बैग में 2 किलोग्राम डायजेपाम ले जाते हुए पाया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 22 के अंतर्गत दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सज़ा को बरकार रखा।

हस्तगत अपील में अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहीं कि अधिनियम की धारा 42(2) और 50 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ था।

कोर्ट के द्वारा अपील खारिज की गई : अवधारित किया-

1. जहां तक स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42(2) का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तलाशी सार्वजनिक स्थान पर की गई थी, न कि किसी इमारत में और इस प्रकार अधिनियम की धारा 43 और धारा 42(2) लागू नहीं थी। [पैरा 6] [945-डी-ई]

स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह 1999 (6) एससीसी 172; हरियाणा राज्य बनाम जरनैल सिंह और अन्य। 2004 (5) एससीसी 188 – को आधार बनाया गया।

2. अधिनियम की धारा 50 की प्रयोज्यता के संबंध में, अपीलकर्ता द्वारा ले जाए गए बैग की तलाशी ली गई और कोई व्यक्तिगत तलाशी नहीं ली गई। इसलिए अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं है। [पैरा 7] [942-एफ]

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार 2005 (4) एससीसी 350- को आधार बनाया गया।

3. यहां उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। [पैरा 8] [942-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 827/2005

मद्रास उच्च न्यायालय सी.ए. क्रमांक 653/2001 के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 4.8.2003 से

अपीलकर्ता की ओर से के. शारदा देवी।

प्रत्यर्थी की और से आर. शुनमुगसुंदरम, एस.जे. अरिस्टोटल, प्रभु रामसुब्रमण्यम और वी.जी. प्रगसम।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे. के द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया

1. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उनके द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश, सेलम द्वारा पारित अपीलार्थी के 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 1,00,000/- रुपये का जुर्माना अन्तर्गत धारा 8 (सी) सपठित धारा 22 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') को बरकरार रखा गया है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

वीरन्नन (पीडब्लू-1), पुलिस उपनिरीक्षक, एन.आई.बी. सी.आई.डी. सेलम दिनांक 16.12.1999 को प्रातः लगभग 9.00 बजे, वेलिंगिरी (पीडब्लू-4), हेड कांस्टेबल नंबर 910 और अन्य पुलिस दल के साथ गुप्त सूचना पर पेथानायक्कमपालयम बस स्टॉप पर गश्त कर रहे थे। उनके द्वारा अपीलकर्ता/अभियुक्त, जो दोपहर लगभग 12.00 बजे अपने दाहिने हाथ पर पीले रंग का बैग लेकर बस स्टॉप के पास खड़ा था, की गतिविधियां सदिंग्ध पायी गई। पी.डब्ल्यू.1 ने अपना परिचय देने के बाद उसे बताया कि वह राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का हकदार है। आरोपी ने स्वयं अधिकारी द्वारा तलाशी लेने की सहमति दी। तदनुसार, P.W.1 ने दो स्वतंत्र गवाहों दुरईसामी (PW-2), ग्राम प्रशासनिक सहायक और दुरईसामी सहायक (PW-3) और P.W.4 हेड कांस्टेबल की उपस्थिति में उसके बैग की तलाशी ली और 2 किलोग्राम डायजेपाम पाया। P.W.1ने उक्त गवाहों की उपस्थिति में Ex.P2 महाज़ार के अन्तर्गत

इसे जब्त कर लिया। उन्होंने 25 ग्राम के दो नमूने लिए, जिनमें से प्रत्येक पर एम.0.2 अंकित किया और उस पर मुहर लगा दी और शेष प्रतिबंधित पदार्थ को सील कर दिया गया, जिस पर एम.0.1 अंकित किया गया। अपीलकर्ता/अभियुक्त को Ex.P3 गिरफ्तारी ज्ञापन के तहत गिरफ्तार किया गया व उसकी एक प्रति उसे दी गई। आरोपी को कार्यालय लाया गया और अपराध क्रमांक 91/99 अधिनियम की धारा 20(बी) (1) के तहत मामला दर्ज किया गया व Ex.P4 मुद्रित एफ.आई.और. तैयार की गई। अभियुक्त को एफ.आई.और. एवं प्रमुख पदार्थों के साथ संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत एक विस्तृत रिपोर्ट Ex.P5 तैयार की गई और उच्च अधिकारीयों को भेजी गई। शंकरापांडियन (P.W.6), पुलिस निरीक्षक, एनआईबी सीआईडी, सेलम ने P.W.1 से Ex.P5 और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद अग्रिम अन्वेषण प्रारम्भ किया। वह घटना स्थल गया व अभियुक्त के घर भी गया, गवाहों के सामने तलाशी ली, Ex.P7 सर्च मेमो तैयार किया, P.Ws 1 से 4 के जांच की और उनके बयान दर्ज किए। जांच अधिकारी (P.W.6) के द्वारा Ex.P8 के माध्यम से न्यायालय के समक्ष एम.ओ.2 को रासायनिक विशलेषण के लिए भेजे जाने का अनुरोध किया। तदनुसार, नमूने का विश्लेषण फोरेंसिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिक सहायक अरुलानंदम (P.W.5) द्वारा किया गया, जिनके द्वारा एम.ओ.2 का नमूना डायजेपाम पाया गया। PW- 5 ने Ex.P6 रिपोर्ट कोर्ट को भेजी। 19.1.2002 को P.W.6 ने P.W.5 की जांच की और उसका बयान दर्ज किये। अन्वेक्षण पूर्ण होने पर, P.W.6 ने आरोपी के खिलाफ अधिनियम की धारा 22 के तहत आरोप पत्र पेश किया।

क्योंकि अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होने का अभिकथन किया इसलिए अन्वीक्षा प्रारम्भ की गई।

छः साक्ष्यों का परीक्षण किया गया और कई प्रदर्शों और प्रमुख पदार्थों को रिकॉर्ड पर लाया गया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 313 के तहत की गई परीक्षा में आरोपी/अपीलकर्ता ने आरोपों से साफ इनकार किया। उसने P.W.1 के रूप में अपनी पत्नी की परीक्षा करवायी। विचारण न्यायालय ने पाया अभियोजन पक्ष आरोपों को स्थापित करने में सक्षम रहा है। उच्च न्यायालय के समक्ष दो आधार अधिनियम की धारा 42(2) व अन्य 50 में वर्णित अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करने के संबंध में उठाए गए। उच्च न्यायालय के द्वारा आरोप सारहीन माने गए। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपील के समर्थन में कथन किये गए कि यद्यपि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, फिर भी अधिनियम की धारा 42(2) और धारा 50 की आवश्यकताओं के उल्लंघन को दर्शित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

4. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया।

5. अधिनियम की धारा 42(2) और 43 इस प्रकार हैं:

> "42(2) जब अधिकारी उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी जानकारी को लिखित में अभिलिखित करता है या उसके परंतुक के अन्तर्गत अपने विश्वास का आधार अभिलिखित करता है तब वह 72 घंटे के भीतर अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को उसकी प्रति भेजेगा।"
>
> 43. लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति.- धारा
>
> 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी -

(क) किसी लोक स्थान में या अभिवहन में किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ को, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध घटित किया गया है, और इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य किसी पशु या वाहन या साम्रगी, ऐसी औषधि या पदार्थ सहित जप्त कर सकता है जिनके लिये उसके पास विश्वास का कारण है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध घटित होने का साक्ष्य दे सकता है या किसी दस्तावेज या साम्रगी जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण, यथास्थिति या राजसात करने योग्य है, अवैध रूप से अर्जित किसी संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य दे सकता है, उसे जप्त कर सकेगा ;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके लिये उसके पास यह विश्वास करने का कारण है उसने इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध घटित किया है, रोक सकता है और तलाशी ले सकता है, और यदि उस व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ हो और ऐसा कब्ज़ा उसका अवैध होना प्रतीत हो तो उसको और उसके साथ के अन्य किसी व्यक्ति को गिरफतार कर सकता है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "आम जगह" में कोई जनता वाहन, होटल, दुकान, या स्थान जो जनता के द्वारा उपयोग के लिए आशयित हो या सुगम हो, शामिल है।

6. जहां तक धारा 42(2) का संबंध है, तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि तलाशी सार्वजनिक स्थान पर की गई थी न की किसी इमारत में और इसलिए धारा 43 लागू होती थी, न कि अधिनियम की धारा 42(2)। इस न्यायालय का पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999 (6) एससीसी 172) का निर्णय वर्तमान मामलों के तथ्यों पर

स्पष्ट रूप से लागू होता है। बलदेव सिंह (एससी) के मामले के दृष्टिकोण को हरियाणा राज्य बनाम जरनैल सिंह और अन्य (2004 (5) एससीसी 188) में पुनरावर्ति की गई थी।

7. जहां तक अधिनियम की धारा 50 की प्रयोज्यता का सवाल है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता द्वारा ले जाए गए बैग की तलाशी ली गई थी और कोई व्यक्तिगत तलाशी नहीं ली गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार (2005 (4) एससीसी 350) में अवधारित किया गया है कि जब कोई व्यक्तिगत तलाशी नहीं होती है और तलाशी किसी बैग के संबंध में की जाती है तो अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होती है।

8. उपरोक्त परिस्थिति में हम उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप के कोई आधार नहीं पाते है। अपील निराधार है और तदनुसार खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनिशा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।